

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश

एकल नस्ती क्रमांक अ-२-३/स्था/३५./१६/१५

विषय:- रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी०/१११२८/२००५(एस) एस०के० राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय ~~जबलपुर~~ जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक १८.८.२०१५ के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील किये जाने बाबत।

विषयांतर्गत याचिकाकर्ता श्री एस०के० राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर विकास खंड कटनी जिला कटनी में कार्यरत हैं। श्री राय की सेवायें म०प्र० राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष २००० के अंतर्गत से छत्तीसगढ़ राज्य हेतु आबंटित की गई थीं जिसके विरुद्ध श्री राय द्वारा म०प्र० प्रशासनिक अभिकरण जबलपुर में याचिका क्र० ओ.ए./३८०३/२००२ दायर की जो उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्र० डब्ल्यू०पी०/२०८९३/२००३ पर पंजीबद्ध हुई। याचिका में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक १५.९.२००३ को पारित निर्णय में वादी के अभ्यावेदन के निराकरण के निर्देश दिये गये। निर्णय के परिपालन में वादी का अभ्यावेदन परीक्षण उपरांत भारत सरकार द्वारा अमान्य किये जाने से संचालनालयीन आदेश क्रमांक/न्याया./छ.ग./२००५/०१ दिनांक १०.१.२००६ द्वारा संबंधित को सूचित किया गया जिसके विरुद्ध वादी द्वारा पुनः मान० उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी०/१११२८/२००५ दायर की जिसमें मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक १८.८.२०१५ द्वारा याचिका मान्य कर वादी का छत्तीसगढ़ आबंटन आदेश एवं अभ्यावेदन अमान्य किया गया आदेश क्रमशः एनेक्सचर पी-१ व पी-१४ अपास्त किये गये। छाया प्रति संलग्न है।

रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी०/१११२८/२००५ में मान० उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक १८.५.२०१५ के संबंध में श्री प्रमोद पान्डे शासकीय अधिवक्ता कार्यालय महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क्रमांक २०३७६ दिनांक २९.१२.२०१४ द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार अभिमत दिया गया है।

" Writ petition has been filed by the petitioner against the order of allocation although his representation has been rejected as well some other matter relating allocation namely B.K. Soni vs Union of India & others is still pending before Hon'ble Court but without given liberty to authority the same writ petition allowed by Hon'ble Court, therefore, instant case, the Writ Appeal may be preferred."

प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार जारी अभिमत में रिट याचिका डब्ल्यू०पी०/१११२८/२००५ में मान० उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक १८.८.२०१५ के विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील किये जाने का अभिमत दिया गया है।

// २ //

(2)

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश

एकल नस्ती क्रमांक अ-3-अ/स्था/को.के./34/

विषय:- रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0/11128/2015(एस) एस0के0 राय ग्रामीण
कृषि विस्तार अधिकारी विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय
खंडपीठ जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरुद्ध मान0 उच्च
न्यायालय की डबल बैंच में अपील किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से:-

अतः शासकीय अधिवक्ता के अभिमत के आधार पर रिट याचिका डब्ल्यू0पी0/
11128/2005 में मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 18.8.2015 के
विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील की जाना प्रस्तावित है।

प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील किये जाने हेतु याचिका की
प्रति, मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.8.2013 एवं शासकीय
अधिवक्ता के अभिमत की प्रति संलग्न है। अपील याचिका दायर किये जाने हेतु उप
संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त
किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बैंच में अपील
दायर किये जाने का निर्णय लेकर विधि विभाग से अनुमति लेना चाहेंगे।

प्रमुख सचिव
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग, मंत्रालय भोपाल

संचालक

संश्लेषिका तत्काल विधि विभाग हेतु
प्रस्तुत करें

संचालक (कृषि)

28/1/16

अ.सं. 2340

A-3-अ.

(3)
संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश
एकल नस्ती

-3- क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.से./स्था./34/छ.ग.

विषय :- रिट याचिका क्र. डब्ल्यु.पी. 11128/2015 (एस) श्री एस.के. राय, ग्रा.कृ.वि.अ. विरुद्ध
म.प्र.शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा पारित निर्णय
दिनांक 18.08.2015 के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय की डबल बैच में अपील किये
जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से :-

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की डबल बैच में अपील दायर किये
जाने का निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण के संबंध में विधि विभाग को भेजे जाने वाली
संक्षेपिका हस्ताक्षर उपरांत ध्वज "अ" पर है, कृपया नस्ती विधि विभाग को अंकित करना
चाहेगें।

प्रमुख सचिव,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

संचालक

उपरोक्त क्रम में संश्लेषिका संकाय कर
रुजिफ कार्रवाई हेतु नस्ती अंकित।

प्रमुख सचिव (विधि)

(डॉ. राजेश शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

प्रमाण विभाग मह. स्तर के कि. उपपत्र

WP No. 11128/15 के माह उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित
निर्णय दि. 18/8/15 के विष. किस. न्यायालय जबलपुर डबल बैच में
खण्डपीठ के इन्दौर शाखा का मा. न्याय है। स्पर्ध शाखा के
साथ ही मा. इस विभाग को अंकित के।

प्रमुख सचिव
किसान कल्याण तथा
कृषि विकास विभाग
वी.प्र.स.उ.के.टी

(राजनी पंजीली)
उप. स्पर्ध
विधि

संस्थापक (कृषि)

4/3/16

3517
26/2/16

का.प्र.प्रा.!!
पा.उ.क.का

Q.22

जावक क्रमांक/72 स्कल नस्ती
15.2.2016

No. 209-AM /PS/FWD
Date 15/2/16

4/11/16
5/3/16

1246/2-6-122
23/1/16

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश
एकल नस्ती

-4- क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.से./स्था./34/छ.ग.

विषय :- रिट याचिका क्रं. डब्ल्यू.पी. 11128/2015 (एस) श्री एस.के. राय, ग्रा.कृ.वि.अ.
विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय ~~जबलपुर~~ जबलपुर द्वारा
पारित निर्णय दिनांक 18.08.2015 के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय की डबल बैच
में अपील किये जाने बाबत।

गाम्भी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थान
गाम्भी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थान
गाम्भी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थान

9/8/16

100

(4)

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश

एकल नस्ती कमांक एकल नस्ती कमांक अ-3-अ/स्था/को.के./06/

विषय:- रिट याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0/11128/2005(एस) एस0के0 राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से -

नोट शीट पृष्ठ कमांक 3 की कार्यवाही अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
रिट याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0/11128/2005(एस) श्री एस0के0 राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 में याचिका मान्य कर वादी का छत्तीसगढ़ आबंटन आदेश एवं अभ्यावेदन अमान्य आदेश कमशः याचिका का एनेक्सचर पी-1 व पी-14 अपास्त किये गये। शासकीय अधिवक्ता के अभिमत दिनांक 29.12.2014 के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बैंच में रिट अपील दायर की जाना प्रस्तावित है। प्रकरण की संक्षेपिका संलग्न है।

कृपया प्रकरण में मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बैंच में रिट अपील दायर किये जाने हेतु विधि विभाग से अनुमति लेना चाहेंगे।

प्रमुख सचिव
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विभाग, मंत्रालय भोपाल

संचालक

प्रदासनीय अनुमोदनार्थ।

मन्त्रालय

16/3/16

(डॉ. राजेश राजौरा)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

22/3/16
मंत्री

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश शासन

5

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश

एकल नस्ती कमांक अ-3-अ/स्था/को.के./34/छ.ग.

विषय:- रिट याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0/11128/2005(एस) एस0के0 राय ग्रामीण
कृषि विस्तार अधिकारी विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय
खंडपीठ जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरुद्ध मान0 उच्च
न्यायालय की डबल बेंच में अपील किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से -

P-4/A पर प्रकाशनीय कुतुहल प्रप्त किया गया है।
मान0 HC की double bench में अपील डायट गेने वी
कुतुहल हेतु नस्ती करिगी

प्रमुख सचिव (विधि)

(डॉ. राजेश कुमार)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

No. 2099AY/PS/FWAD
Date 22/3/16